



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1933 (श०)
(सं० पट्टना 399) पट्टना, बुधवार, 3 अगस्त 2011

विधि विभाग

अधिसूचना

3 अगस्त 2011

सं० एल०जी०-१-२३/२०११/लेज-१५६—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 2 अगस्त 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 13, 2011]

बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2011

बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों की निकासी 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो । -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 01 अप्रैल 2011 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. 2011-12 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 22,52,17,79,000 (बाईस अरब बावन करोड़ सत्रह लाख उनासी हजार) रुपये की निकासी । - बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 1 अप्रैल, 2011 को शुरू होने वाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 22,52,17,79,000 (बाईस अरब बावन करोड़ सत्रह लाख उनासी हजार) रुपये जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अधिक न होंगे, निकाले जा सकेंगे ।

3. विनियोग-। - इस अधिनियम के द्वारा बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 1 अप्रैल, 2011 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेंगी ।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	राजस्व	54,61,000		54,61,000
		पूँजी	29,40,000		29,40,000
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	22,23,98,000		22,23,98,000
		पूँजी	3,50,000		3,50,000
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	14,35,21,000		14,35,21,000
		पूँजी	2,75,00,000		2,75,00,000
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	68,18,000		68,18,000
		पूँजी			
5	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व		17,73,000	17,73,000
		पूँजी			
6	निर्वाचन विभाग	राजस्व	1,15,39,000		1,15,39,000
		पूँजी			
7	निगरानी विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	18,09,000		18,09,000
		पूँजी			
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	40,56,000		40,56,000
		पूँजी			
10	उर्जा विभाग	राजस्व	98,31,35,000		98,31,35,000
		पूँजी	10,00,00,000		10,00,00,000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	24,13,88,000		24,13,88,000
		पूँजी			
12	वित्त विभाग	राजस्व	3,19,20,000		3,19,20,000
		पूँजी	1,39,65,000		1,39,65,000
13	सूद भुगतान	राजस्व			
		पूँजी			
14	ऋण अदायगियां	राजस्व			
		पूँजी		1,99,39,000	1,99,39,000

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
15	पेंशन	राजस्व			
		पूँजी			
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	17,42,000		17,42,000
		पूँजी			
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	12,44,90,000		12,44,90,000
		पूँजी			
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	7,44,14,000		7,44,14,000
		पूँजी	1,00,00,00,000		1,00,00,00,000
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	12,93,75,000		12,93,75,000
		पूँजी			
21	मानव संसाधन विकास विभाग	राजस्व	5,69,76,27,000		5,69,76,27,000
		पूँजी	15,38,00,000		15,38,00,000
22	गृह विभाग	राजस्व	3,17,17,51,000		3,17,17,51,000
		पूँजी	9,50,00,000		9,50,00,000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	27,04,000		27,04,000
		पूँजी			
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
25	सूचना प्रावेदिकी विभाग	राजस्व	18,85,000		18,85,000
		पूँजी			
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	42,66,000		42,66,000
		पूँजी			
27	विधि विभाग	राजस्व	32,70,69,000		32,70,69,000
		पूँजी			
28	उच्च न्यायालय	राजस्व		20,74,000	20,74,000
		पूँजी			
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व			
		पूँजी			

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	1,08,90,000		1,08,90,000
		पूँजी			
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
32	विधान मंडल	राजस्व	17,21,28,000	23,19,000	17,44,47,000
		पूँजी			
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	37,19,69,000		37,19,69,000
		पूँजी			
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व			
		पूँजी			
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	73,97,51,000		73,97,51,000
		पूँजी	2,10,00,00,000		2,10,00,00,000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	19,00,000		19,00,000
		पूँजी			
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व	4,61,23,000		4,61,23,000
		पूँजी			
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	2,20,97,03,000		2,20,97,03,000
		पूँजी			
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	2,07,07,67,000		2,07,07,67,000
		पूँजी			
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	20,13,47,000		20,13,47,000
		पूँजी			
43	विज्ञान एवं प्रावैदिकी विभाग	राजस्व	3,70,97,000		3,70,97,000
		पूँजी	27,00,00,000		27,00,00,000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	65,78,000		65,78,000
		पूँजी			
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	23,06,000		23,06,000
		पूँजी			

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	अनधिक राशियां			
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग	
1	2	3	4	5	6	
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	47,32,000		47,32,000	
		पूँजी				
47	परिवहन विभाग	राजस्व	20,10,000		20,10,000	
		पूँजी	8,00,00,000		8,00,00,000	
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	17,41,000		17,41,000	
		पूँजी				
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	18,09,000		18,09,000	
		पूँजी				
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	1,57,39,00,000		1,57,39,00,000	
		पूँजी				
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	1,00,00,000		1,00,00,000	
		पूँजी				
योग राजस्व			18,65,21,19,000	61,66,000	18,65,82,85,000	
योग पूँजी			3,84,35,55,000	1,99,39,000	3,86,34,94,000	
महायोग			22,49,56,74,000	2,61,05,000	22,52,17,79,000	

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 399-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>